SPEED POST/MOST IMMEDIATE

Y-18011/2/2024-EP-III
AEP (III) Section / ए.ई.पी.-III अनुभाग
Ministry of Ayush / आयुष मंत्रालय
Government of India/ भारत सरकार

"आयुष भवन"/ "AYUSH BHAWAN" "बी" ब्लाक, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, / 'B' Block, GPO Complex, आई.एन.ए., नईदिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110 023 दिनांक / Dated: 15.05.2025

To,

The Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Health)/ Secretary (Health)/Commissioner Ayush of all States/UTs.

Subject: Guidelines for Central Nomination to Bachelor in Ayurvedic Medicine & Surgery (BAMS), Bachelor in Unani Medicine & Surgery (BUMS), Bachelor in Siddha Medicine & Surgery (BSMS), Bachelor in Sowa Rigpa Medicine & Surgery (BSRMS), and Bachelor in Homoeopathic Medicine & Surgery (BHMS) Courses for the academic session 2025-26: reg.

Sir/Ma'am,

I am directed to invite your kind attention to this Ministry's letter Y-18011/2/2024-EP-III dated 28.05.2024 (copy enclosed) wherein, the comprehensive revised Guidelines on the above subject were issued for the academic session 2024-25.

- 2. As there is no change in the instructions and guidelines contained in the enclosed CGN-UG guidelines dated 28.05.2024, conveyed by this Ministry's letter Y-18011/2/2024-EP-III, it is informed that the same shall also be applicable for the current academic session i.e. 2025-26 and shall remain valid for the subsequent years unless modified and amended. Therefore, all relevant date(s)/academic session(s) mentioned in the said letter dated 28.05.2024 may please be read as corresponding date(s)/session(s) of year 2025 for implementation in its spirit during academic session 2025-26 as per the provisions contained therein.
- 3. Keeping in view of above, all the State/UT governments/administrations and concerned institutions are requested to take further necessary action in accordance with the guidelines for the academic session 2025-26.
- 4. The last date for receiving of applications shall be 60 days from the date of issuance of this letter failing which the authorities of donor

institutes are requested to take admission as per the para 03 of the concerned guidelines

5. This issues with the approval of competent authority.

Encl: as stated

Yours faithfully, Digitally signed by Madan Lal Meena Date: 15-05-2025 17:03:26

(Madan Lal Meena)
Under Secretary to the Government of India
e-mail: ep3-ayush@gov.in

Copy for information & necessary action to:-

- 1. The Director, Directorate of ISM&H/Health of all the States/UTs.
- 2. Registrars of all concerned university as per list attached.
- 3. Principals of all colleges as per list attached.
- 4. Director, North -Eastern Council, Shillong.
- 5. The Officer (I/C) of NIC, M/o. Ayush for its display on the website of this Ministry (www.ayush.gov.in).

Government of India/ भारत सरकार Ministry of Ayush/ आयुष मंत्रालय AEP (III) Section/ ए.ई.पी.-III अनुभाग

"बी "ब्लाक, जी.पी.ओ .काम्प्लेक्स,/'B' Block, GPO Complex, आई.एन.ए., नईदिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110023 दिनांक/Dated: 2 € .05.2024

To,

The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Health)/Commissioner Ayush of all States/UTS.

Subject: - Guidelines for Central Nomination to Bachelor in Ayurvedic Medicine & Surgery (BAMS), Bachelor in Unani Medicine & Surgery (BUMS), Bachelor in Siddha Medicine & Surgery (BSMS), Bachelor in Sowa-Rigpa Medicine & Surgery (BSRMS) and Bachelor in Homoeopathic Medicine & Surgery (BHMS) Courses for the academic session 2024-25 - reg. Sir/Madam,

As you are aware that to meet the resurgence of interest in Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa-Rigpa & Homoeopathy (ASUS&H) medicines in India & abroad and also in pursuance of the 55th Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Demand for Grants, few seats in ASUS&H Under Graduate (UG) courses are reserved/earmarked for Government of India under 'Central Pool' in few donor institutes of the country and are allotted to the students/candidates of the specific States/UTS, where the colleges of the respective system is not available, for studying Under Graduate (UG) Courses. The same is in implementation through existing UG Scheme Guideline (Academic Session- 2023-2024) bearing F.No. Y-18011/9/2023-EP-III dated 29.08.2023 and 30.08.2023 for Central Government Nomination(CGN).

2. In this regard, I am directed to state that all the previous UG Scheme Guidelines have been reviewed by this Ministry and it has accordingly been decided that in supersession of all previous guidelines on the subject, the following Comprehensive Revised Guidelines for Central Government Nomination to Under Graduate (UG) courses (BAMS, BUMS, BSMS, BSRMS & BHMS) shall take effect from the academic session 2024-25. A statement showing the seats made available by various ISM&H colleges (donors) and re-allocated to specific deficient States/UTS in specific donor institutions in specific UG courses for utilization by Government of India for the students of those specific deficient States/UTS, where there are no such Government-run colleges available, have been shown in the enclosed Annexure. However, admission shall be given after confirming permission for admission has been given by NCISM / NCH as applicable to the respective college for the respective year.

For the purpose of this Scheme Guidelines, the meaning of the following words is as under:-

- a. Deficient State/UT- means in which State/UT no Government-run college of the UG Courses (viz. BAMS, BUMS, BSMS, BSRMS & BHMS) for study is existed.
- b. Eligible candidates means candidates belonging to deficient States/UTS, against whom the earmarked seat(s) in specific UG course has/have been allotted against specific College (donor), where there are no such Government-run college of the

Bil Tulay 28.5.24

respective course of UG for studying, are only eligible for nomination/admission under the 'Central Pool' reserved seats in the specific donor institutes of this Scheme.

- c. Donor Institutes means in which institutes seats under 'Central Pool' are reserved and re-allotted to specific deficient State/UT for Central Govt. Nomination (CGN) of candidates.
- 3. To ensure admission of meritorious students/candidates to Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa-Rigpa and Homoeopathy systems of medicine, following procedure shall be followed:
 - i. Only NEET qualified students, are to be selected for nomination to degree courses by the specific deficient State/UT. The deficient State/UT Govt./Administration, whom earmarked seats for Govt. of India have been allotted in the enclosed Annexure, will invite applications from the interested NEET qualified candidates of their State/UT for nomination to degree courses by the stipulated date.
 - ii. The list of their nominees will be forwarded to the concerned colleges (donor)/Directorate of ISM&H of States/Union Territories as stipulated in the prospectus released every year by the college authorities of the donor institute and under no circumstances to this Ministry.
 - iii. In case the specific deficient State/UT Govts. fail to nominate their candidates against the allotted seats to the specific donor institute, the donor college authorities will fill up the seats only by the NEET qualified candidates under intimation to this Ministry.
 - iv. The donor college authorities would admit NEET qualified students nominated by the specific deficient State/UT Government without taking any other admission test subject to fulfillment of qualifying eligibility criteria, as the deficient States/UTS are 'required' to nominate their candidates on the basis of the NEET merit list.
 - v. The college authorities (donor institutions) are, therefore, empowered under the provisions of this Scheme Guidelines to admit "nominees" of the specific deficient State/UT candidates in their institutions without referring to this Ministry seeking further direction/approval.
- 4. All deficient State/UT shall appoint a nodal officer to forward their nominees to the concerned college/donor Institute to facilitate admission process under this Scheme and coordinate with donor Institutes.
- 5. The allotted deficient State/UT Govts. are requested to utilize the slots/seats made available to them by recommending/ nominating suitable NEET qualified candidates for admission to degree courses to the colleges allotted to them under intimation to this Ministry. The deficient State/UT Govts, should shortlist candidates on the basis of NEET merit list only.
- 6. The Medical Colleges/Institutions (donor) mentioned in the Annexure are required to conform to the requirements of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, as the case may be, and the Regulations of the National Commission for Indian System of Medicine and National Commission for Homoeopathy as applicable. The candidate who applies for nomination/admission against earmarked allotted seats must be informed upfront in writing that his/her actual admission in the college/institution(donor) or the course concerned shall depend upon and be subject to the college/institution(donor) concerned having received the requisite permission for that relevant academic year including this year 2024-25.

28.5.24

- 7. All the donor institutions /colleges are requested to intimate the Ministry about the details of student admitted against reserved seat for CGN for UG courses after completion of admission process for each academic session.
- 8. The above instructions and guidelines shall remain valid for subsequent academic years unless modified or amended.
- 9. The last date for receiving of application shall be 60 days from the date of issuing of this letter failing which the authorities of donor institute are requested to take admission as per para 03 of this guideline.
- 10. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Bile Why 28.5.24

(Shiela Tirkey)

Under Secretary to the Government of India email: ep3-ayush@gov.in

Copy for Information & necessary action to: -

- 1. The Director, Directorate of ISM&H/Health of all the States/UTS.
- 2. Registrars of all concerned university as per list attached in Annexure.
- 3. Principals of all colleges as per list attached in Annexure.
- 4. Director, North-Eastern Council, Shillong.
- 5. The Officer (I/C) of NIC, M/o. Ayush for its display on the website of this Ministry (www.ayush.gov.in).

Statement showing the seats made available by various ISM&H colleges for utilization by Government of India for the students of States/UTs where there are no such colleges available.

Sl.No.	Name of the college(Donor)	Seats earmarked for Government of India	Seats allotted to States/UTs
Ayuı	rveda (BAMS Course) — 24 seats		
Telang	vana		
1.	Dr. BRKR Govt. Ayurveda College, Hyderabad, Telangana	2	1- Dadra and nagar Haveli in place of Meghalaya. 1- Lakshadweep
	Total	2	
Andhi	ra Pradesh		
1.	Anantalaxmi Govt. Ayurveda College, Warrangal	1	1- A&N Islands
2.	Dr. NRS Govt. Ayurveda College, Vijayawada	1	1- Lakshadweep
	Total	2	
Delhi			
1.	Ayurved & Unani Tibbi College, Karolbagh	2	1- Nagaland 1- Mizoram
	Total	2	
Harya		-	
1.	Bhagat Phool Singh Mahila Vishvidyalaya, Khanpur Kalan, Sonepath (for female candidates)	1(female candidates)	1 -Andaman & Nicobar Islands in place of J&K
	Total	1	
Hima	chal Pradesh		
1.	Rajiv Gandhi Govt. PG Ayurvedic College, Kangra (HP)	2	2- Manipur in place of J&K
	Total	2	
Maha	rashtra		
1.	Govt.Ayurveda College, Osmanabad	1	1- A&N Islands
2.	Govt. Ayurveda College, Nagpur	1	1- Arunachal Pradesh
3.	RA Poddar Ayurveda Medical College, Mumbai	2	1- Arunachal Pradesh 1- Manipur
4.	Govt. Ayurveda College, Nanded	1	1- Manipur
	Total	5	
Karna	ataka		
1.	Government College of Indian Medicine, Bangalore.	2	1- Dadra & Nagar, Haveli 1- Daman & Diu
	Total	2	
Odish	ıa e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
1.	Gopabandhu Ayurved Mahavidyalaya, Puri	1	1- Sikkim

8il Viley 28.5.24

	Total	1	
Raja	asthan		
1.	MMM Govt. Ayurvedic College, Udaipur	2	1- Tripura 1- A&N Islands
2.	Post Graduate Institute of Ayurveda , Jodhpur	5	05- North East States*
	Total	7	

^{*}North-eastern Council is to provide these BAMS seats to the states of N.E. Region on rotation basis as per the eligibility under this Scheme.

Una	ni (BUMS Course)- 6 seats		
	ngana		
1.	Nizamia Tibbi College,Charminar, Telangana	2	1- Jharkhand 1- North East States*
	Total	2	
	rth-eastern Council is to provide these ion basis.	BUMS seats to	o the states of N.E. Region on
Dell	ıi		
1.	Ayurved & Tibbi College, Karol Bagh, Delhi.	2	1-Punjab 1-Uttarakhand
	Total	2	
Kar	nataka		
1.	Government Unani Medical College, Bangalore	1	Kerala
	Total	1	
Tan	iil Nadu	• 7	
1.	Government Unani Medical College, Chennai.	1	Puducherry
	Total	1	

Hom	oeopathy (BHMS Course)-30 seats		
Tela	ngana		
1.	JSPS Govt.Homoeo Medical College, Hyderabad, Telangana	1	Dadra & Nagar Haveli
14664	Total	1	
And	hra Pradesh		
1.	Govt. Homoeo Medical College, Cuddapah, Rayalaseema	1	Daman &Diu
2.	Dr. Guru Raju Govt. Homoeo Medical College, Gudivada	1	Dadra & Nagar Haveli
	Total	2	
Delh	i		
1.	Nehru Homoeo Medical College& Hospital, New Delhi.	2	1-J&K 1-Mizoram
	Total	2	
Karı	nataka		
1.	Govt. Homoeo Medical College, Banagalore.	2	1-Lakshadweep 1-Puducherry (This allocation of seats

			as per modification letter dated 10.09.2015)
	Total	2	
Ker	ala		
1.	Govt. Homoeo Medical College, Thiruvananthapuram	1	1- Dadra & Nagar Haveli in place of Meghalaya
2.	Govt. Homoeo Medical College, Kozhikodfa	1	1- Lakshadweep
	Total	2	
Odi	sha		
1.	Dr. AC Govt. Homoeo Medical College, Bhubaneswar	1	1- Sikkim
	Total	1	
Tan	iil Nadu		
1.	Govt. Homoeo Medical College, Thirumangalam, Distt. Madurai	2	1- Puducherry 1-A&N Islands
	Total	2	
Wes	t Bengal		
1.	D.N.De Homoeo Medical College Kolkata	1	1- A&N Islands
2,	Calcutta Homoeo Medical College, Kolkata	1	1- Manipur
3.	MB Homoeo Medical College, Howrah	1	1- Sikkim
4.	Midnapore Homoeo Medical College, Midnapore	1	1- Tripura
5.	National Institute of Homoeopathy, Kolkatta	14	2- Tripura 2- Mizoram 1- J&K 1- Manipur 1- 1 seat each to Andaman & Nicobar Islands an Manipur in place of 2- 2 seats of Meghalaya 2- Nagaland 1- Sikkim 1- A&N Island 1 — Dadra & Nagar Haveli 1- Daman & Diu
	Total	18	

Siddha (BSMS Course)-3 seats					
Tan	nil Nadu				
1.	Government Siddha Medical College, Palayamkottai	3	2- Puducherry 1- Kerala		
	Total	3			

Bile they

Sow	a-Rigpa (BSRMS Course)-6 Seats		
UT	of Ladakh		
1	National Institute of Sowa-Rigpa, Leh	2	1- Arunachal Pradesh 1- Jammu and Kashmir
2.	Central Institute of Buddhist Studies (CES), Choglamsar, Leh	2	1- UT of Jammu & Kashmir 1- Uttrakhand
	Total	4	
Utta	r Pradesh		
1.	Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi	2	1-Arunachal Pradesh 1-Kinnaur, Lahoul and Spiti regions of Himachal Pradesh
	Total	2	

Grand Total Of Seats: 69

28.5.24 V

(Shiela Tirkey) Under Secretary to the Government of India

Copy for information & necessary action to:-

- 1. The Director, Directorate of ISM&H/HeaIth of all the States/UTs.
- 2. Registrars of all concerned university as per list attached.
- 3. Principals of all colleges as per list attached.
- 4. Director, North —Eastern Council, Shillong.
- 5. The Officer (I/O) of NIC, MIO. Ayush for its display on the website of this Ministry (www.ayush.gov.in)

(Shiela Tirkey)
Under Secretary to the Government of India

स्पीड पोस्ट/अति तत्काल

वाई-18011/2/2024-ईपी-III ए.ई.पी.-III अनुभाग/ AEP (III) Section आयुष मंत्रालय/ Ministry of Ayush भारत सरकार/Government of India

"आयुष भवन" / "AYUSH BHAWAN" "बी" ब्लाक, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, / 'B' Block, GPO Complex, आई.एन.ए., नईदिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110 023 दिनांक / Dated: 15.05.2025

सेवा में,

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)/सचिव (स्वास्थ्य)/आयुक्त, आयुष।

विषय: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस), बैचलर इन सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस), बैचलर इन सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस), और बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रमों में केंद्रीय नामांकन हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 28.05.2024 के पत्र वाई-18011/2/2024-ईपी-III (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है, जिसमें उपर्युक्त विषय पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

2. चूंकि, पत्र दिनांक 28.05.2024 के संलग्न सीजीएन- यूजी दिशानिर्देशों, जिन्हें इस मंत्रालय के पत्र एफ.सं.वाई-18011/2/2024-ईपी-III द्वारा संसूचित किया गया था, में निहित निर्देशों और दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए यह सूचित किया जाता है कि ये दिशानिर्देश ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात 2025-26 के लिए भी लागू होंगे और इसके बाद के वर्षों के लिए तब तक वैध रहेंगे जब तक कि उनमें संशोधन और आशोधन किया जाए। इसलिए, दिनांक 28.05.2024 के उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित सभी संगत तिथि (तिथियों)/शैक्षणिक सत्र (सत्रों) को कृपया वर्ष 2025 की संबंधित तिथि

(तिथियों)/सत्र (सत्रों) के रूप में पढ़ा जाए जिससे कि इसमें निहित प्रावधानों का शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन किया जा सके।

- 3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/प्रशासनों और संबंधित संस्थानों से अनुरोध है कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई करें।
- 4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 60 दिन होगी, ऐसा न करने पर दाता संस्थानों के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 03 के अनुसार प्रवेश लें।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय, Digitally signed by Madan Lal Meena Date: 15-05-2025 17:00:45

(मदन लाल मीणा) अवर सचिव, भारत सरकार ई-मेल: ep3-ayush@gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आईएसएम एंड एच/स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशक।
- 2. संलग्न सूची के अनुसार सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
- 3. संलग्न सूची के अनुसार सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य।
- 4. निदेशक, पूर्वीतर परिषद, शिलांग।
- 5. आयुष मंत्रालय में एनआईसी के प्रभारी अधिकारी को इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर इसे अपलोड करने के लिए।

भारत सरकार/Government of India आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush ए.ई.पी.-III अनुभाग/AEP (III) Section

"आयुषभवन"/"Ayush Bhawan" "बी "ब्लॉक, जी.पी.ओ .काम्प्लेक्स,/'B' Block, GPO Complex, आई.एन.ए., नईदिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110023 दिनांक/Dated: 28.05.2024

सेवा में.

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (स्वास्थ्य)/आयुक्त आयुष्

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस), बैचलर इन सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस), बैचलर इन सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस), बैचलर इन सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) और बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय नामांकन हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और विदेशों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी (एएसयूएस एंड एच) चिकित्सा में बढ़ती रुचि को पूरा करने और साथ ही, अनुदान मांगों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 55वीं रिपोर्ट के अनुसरण में, एएसयूएस एंड एच अंडर ग्रेजुएट (यूजी) पाठ्यक्रमों के तहत कुछ सीटें देश के कुछ डोनर संस्थानों में 'सेंट्रल पूल' के तहत भारत सरकार के लिए आरक्षित/निर्धारित की गई हैं और उन विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों/अभ्यर्थियों को आवंटित की जाती हैं, जहां अंडर ग्रेजुएट (यूजी) पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए संबंधित पद्धित के कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार नामांकन (सीजीएन) से संबंधित फा.सं. वाई.18011/9/2023-ईपी-III दिनांक 29.08.2023 और 30.08.2023 के तहत यूजी स्कीम के दिशानिर्देशों (शैक्षणिक सत्र- 2023-24) के माध्यम से किया जा रहा है।

2. इस संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय द्वारा यूजी स्कीम के पिछले सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर पिछले सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, अंडर ग्रेजुएट (यूजी) पाठ्यक्रमों (बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएसआरएमएस एवं बीएचएमएस) के लिए केंद्र सरकार के नामांकन हेतु निम्नलिखित व्यापक संशोधित दिशानिर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होंगे। विभिन्न आईएसएम एंड एच कॉलेजों (डोनर्स) द्वारा उपलब्ध कराई गई सीटों और जिन्हें उन अभावग्रस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां सरकार द्वारा संचालित ऐसे कोई कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं, के छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग हेतु विशिष्ट यूजी पाठ्यक्रमों में विशेष डोनर संस्थानों में विशिष्ट अभावग्रस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिर से आवंटित किया गया है, को दर्शाने वाला एक विवरण संनग्नक में दिया गया है। तथापि, एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा प्रवेश के संबंध में दी गई अनुमित की पुष्टि होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा जो उस विशेष वर्ष के लिए संबंधित कॉलेज पर लागू होगा।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय इस प्रकार है:-

- क. अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- का अभिप्राय है ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां अध्ययन हेतु यूजी पाठ्यक्रमों (जैसे बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएसआरएमएस एवं बीएचएमएस) का कोई भी सरकारी कॉलेज मौजूद नहीं है।
- ख. पात्र अभ्यर्थी- का अभिप्राय है अभावग्रस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वे अभ्यर्थी जिनके लिए विशिष्ट यूजी पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट (सीटों) को ऐसे विशिष्ट कॉलेज (डोनर) के लिए आवंटित किया गया है, जहां अध्ययन हेतु यूजी के संबंधित पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा संचालित ऐसे कॉलेज नहीं हैं, वे ही इस योजना के विशिष्ट डोनर संस्थानों में 'सेंट्रल पूल' आरक्षित सीटों के अंतर्गत नामांकन/प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- ग. डोनर संस्थान इसका अभिप्राय है ऐसे संस्थान जिनमें 'सेंट्रल पूल' के तहत सीटें आरक्षित हैं और जिन्हें अभ्यर्थियों का केंद्र सरकार नामांकन (सीजीएन) के लिए विशिष्ट अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को फिर से आवंटित किया गया है।
- 3. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के मेधावी छात्रों/अभ्यर्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
 - i. विशिष्ट अभावग्रस्त राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए केवल नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही चुना जाएगा। ऐसे अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन, जिनमें भारत सरकार के लिए, संलग्नक में आवंटित की गई सीटें निर्धारित की हैं, वे एक निर्धारित तिथि तक डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नीट परीक्षा में उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे।
 - ii. उनके नामांकित व्यक्तियों की सूची संबंधित कॉलेजों (डोनर)/राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के आईएसएम एंड एच निदेशालय को भेजी जाएगी, जैसा कि डोनर संस्थान के कॉलेज अधिकारियों द्वारा हर वर्ष जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित की जाती है और किसी भी परिस्थिति में इस मंत्रालय को नहीं भेजी जाएगी।
 - iii. यदि विशिष्ट अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, विशिष्ट डोनर संस्थान को आवंटित सीटों के लिए अपने अभ्यर्थियों को नामांकित करने में विफल रहती हैं, तो डोनर कॉलेज प्राधिकारी केवल नीट परीक्षा के अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा सीटें भरेंगे और इसकी सूचना इस मंत्रालय को देंगे।
 - iv. डोनर कॉलेज के प्राधिकारी, विशिष्ट अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामांकित नीट परीक्षा के अर्हताप्राप्त छात्रों को प्रवेश देंगे और यदि अर्हक पात्रता मानदंड पूरे होते हों तो अन्य कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि अभावग्रस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नीट योग्यता सूची के आधार पर अपने अभ्यर्थियों को नामित करना 'अपेक्षित' है।
 - v. इसिलए, कॉलेज प्राधिकारियों (डोनर संस्थानों) को इस योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत अधिकार दिया गया है कि वे इस मंत्रालय से आगे निर्देश/अनुमोदन प्राप्त किए विना अपने संस्थानों में विशिष्ट अभावग्रस्त राज्य/मंघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के "नामितियों" को प्रवेश दें।

2815/24

- 4. सभी अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधित कालेज/डोनर संस्थान को अपने नामितियों को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे ताकि इस योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया में मदद मिल सके और डोनर संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।
- 5. आवंटित अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि वे उन्हें आवंटित कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट परीक्षा के अर्हताप्राप्त उपयुक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति/नामांकन करके उन्हें उपलब्ध कराए गए स्लॉट/सीटों का उपयोग करें और ततसंबंध में इस मंत्रालय को भी सूचित करें। अभावग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केवल नीट योग्यता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए।
- 6. संलग्नक में उल्लिखित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (डोनर) को भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम, 2020, जैसा भी मामला हो, और भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, जो भी लागू होता हो, के विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना जरूरी है। जो अभ्यर्थी निर्धारित आवंटित सीटों के लिए नामांकन/प्रवेश हेतु आवंदन करता है, उसे लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए कि कॉलेज/संस्थान (डोनर) या संबंधित पाठ्यक्रम में उसका वास्तविक प्रवेश उस संबंधित कॉलेज/संस्थान (डोनर) पर निर्भर करेगा और उसके अध्यधीन होगा जिसे इस वर्ष 2024-25 सहित संगत शैक्षणिक वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमित प्राप्त हो चुकी हो।
- 7. सभी डोनर संस्थानों/कालेजों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद यूजी पाठ्यक्रमों हेतु सीजीएन के लिए आरक्षित सीट हेतु प्रवेश पाए छात्रों के ब्यौरे के बारे में मंत्रालय को सूचित करें।
- 8. उपरोक्त निर्देश और दिशानिर्देश, बाद के शैक्षणिक वर्षों के लिए तब तक वैध रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाता है।
- 9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 60 दिन की होगी और ऐसा न होने पर डोनर संस्थान से अनुरोध है कि वह इन दिशानिर्देशों के पैरा 03 के अनुसार प्रवेश दिलाए।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

शीला तिसी

(शीला तिर्की)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल : ep3-ayush@gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

- 1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आईएसएम एंड एच/स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक।
- 2. संलग्नक में दी गई सूची के अनुसार सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
- 3. संलग्नक में दी गई सूची के अनुसार सभी कालेजों के प्राचार्य।
- 4. निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग।
- 5. एनआईसी के अधिकारी (प्रभारी), आयुष मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर प्रदर्शन हेतु।

विभिन्न आईएसएम एंड एच कॉलेजों द्वारा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां ऐसे कोई कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं, के छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई सीटों को दर्शाने वाला विवरण।

ह.सं.	कॉलेज (डोनर) का नाम	भारत सरकार के लिए निर्धारित सीटें	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटें
आयुरे	र्वेद (बीएएमएस पाठ्यक्रम) - 24 सीटें		
तेलंग	ाना		
1.	डॉ. बीआरकेआर राजकीय आयुर्व महाविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना	र्वेद 2	1- मेघालय के स्थान पर दादरा और नगर हवेली 1- लक्षद्वीप
	कुल	2	
आंध	प्रदेश		
1.	अनंतलक्ष्मी राजकीय आयुर्व महाविद्यालय, वारंगल	र्वेद 1	1-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
2.	डॉ. एनआरएस राजकीय आयुर्वे महाविद्यालय, विजयवाड़ा	र्वंद 1	1-लक्षद्वीप
	कुल	2	
दिर्ल	1		
1.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब महाविद्यालय, करोल बाग	बी 2	1- नागालैंड 1- मिजोरम
	कुल	2	
हरिया			
1.	भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्याल खानपुर कलां, सोनीपत (महि अभ्यर्थियों के लिए)	The state of the s	
	कुल	1	
हिमाच	वल प्रदेश		
1.	राजीव गांधी राजकीय स्नातकोर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कांग (हि.प्र.)		2- जम्मू एवं कश्मीर के स्थान पर मणिपुर
	कुल	2	
महार	ाष्ट्र -		
1.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्याल ओस्मानाबाद	य, 1	1-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
2.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्याल नागपुर	य, 1	1-अरुणाचल प्रदेश
3.	आरए पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉले मुंबई	ज, 2	1- अरुणाचल प्रदेश 1- मणिप्र

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेइ	1	1-मणिप्र
कुल	5	
কে -		
भारतीय चिकित्सा राजकीय महाविद्यालय, बैंगलोर	2	1- दादरा और नगर हवेली 1- दमन और दीव
कुल	2	
शा		
गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी	1	1-सिक्किम
कुल	1	
थान		
एमएमएम राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर	2	1- त्रिपुरा 1- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, जोधपुर	5	05- पूर्वोत्तर राज्य"
कुल	7	
	कुल अगरतीय चिकित्सा राजकीय महाविद्यालय, बैंगलोर कुल शा गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी कुल थान एमएमएम राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, जोधपुर	कुल 5 उक भारतीय चिकित्सा राजकीय 2 महाविद्यालय, बैंगलोर 2 कुल 2 शा गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी 1 कुल 1 थान एमएमएम राजकीय महाविद्यालय, 2 उदयपुर 2 स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, जोधपुर 5 5

तेलं	गाना		
1.	निजामिया तिब्बी महाविद्यालय, चारमीनार, तेलंगाना	2	1- झारखंड 1- पूर्वोत्तर राज्य
	कुल	2	
	तिर परिषद् द्वारा यह बीयूएमएस सीट पू नब्ध कराई जानी है।	र्वोत्तर क्षेत्र	के सभी राज्यों को रोटेशन के आधार पर
दिल	ली		
1.	आयुर्वेद और तिब्बी महाविद्यालय, करोल बाग, दिल्ली	2	1- पंजाब 1- उत्तराखंड
	कुल	2	
कर्ना	टक		
1.	राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	1	केरल
	कुल	1	
तमि	लगाडु		
1.	राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	1	पुड्डुचेरी
	कुल	1	

होम्योपैथी (बीएचएमएस पाठ्यक्रम) - 30 सीटे		
तेलगाना		

शीला निर्म

1.	जेएसपीएस राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना	1	दादरा और नगर हवेली
	कुल	1	
आंध	प्रदेश		
1.	राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, कुडप्पा, रायलसीमा	1	दमन और दीव
2.	डॉ. गुरु राजू राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, गुडीवाडा	1	दादरा और नगर हवेली
	कुल	2	
दिल	ली		
1.	नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नई दिल्ली	2	1- जम्मू एवं कश्मीर 1- मिजोरम
	कुल	2	
कर्ना	टक		
1.	राजकीय होम्यो मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	2	1- लक्षद्वीप 1- पुड्डुचेरी (सीटों का यह आवंटन दिनांक 10.09.2015 के संशोधन पत्र के अनुसार है)
	कुल	2	
केरत	T		
1.	राजकीय होम्यो मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	1	1- मेघालय के स्थान पर दादरा और नगर हवेली
2.	राजकीय होम्यो मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	1	लक्षद्वीप
	कुल	2	
ओड़ि	देशा		
1.	डॉ. एसी राजकीय होम्यो मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर	1	1-मिक्किम
	कुल	1	
तमि	लनाड्		
1.	राजकीय होम्यो मेडिकल कॉलेज, तिरुमंगलम, जिला मदुरै	2	1- पुड्डुचेरी 1- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	कुल	2	
पश्चि	वस बंगाल		
1.	डी.एन. डी. होम्यो मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	1	1- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	कलकता होम्यो मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	1	1-मणिपुर
2	एमबी होम्यो मेडिकल कॉलेज, हावड़ा	1	1-सिक्किम
3.	एमबा हान्या नाउनात नगता, तावज्ञ	THE RESIDENCE	<u> La casa de la casa d</u>

शीला तिसी

4.	मिदनापुर होम्यो मेडिकल कॉलेज, मिदनापुर	1	1-त्रिपुरा
5.	राष्ट्रीय होम्यापैथी संस्थान, कोलकाता	14	2- त्रिपुरा 2- मिजोरम 1- जम्मू एवं कश्मीर 1- मणिपुर 2-मेघालय की 02 सीटों के स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मणिपुर को एक-एक सीट 2- नागालैंड 1- सिक्किम 1- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1- दादरा और नगर हवेली 1- दमन और दीव
	कुल	18	

सिद्ध (बीएसएमएस पाठ्यक्रम) -3 सीटें						
तमिलनाड्						
1.	राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पालयमकोट्टई	3	2- पुड्डुचेरी 1- केरल			
	कुल	3				

सोव	<u>-रिग्पा (बीएसआरएमएस)- 6 सीटें</u>				
संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख					
1.	राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान, लेह	2	1- अरुणाचल प्रदेश 1- जम्मू एवं कश्मीर		
2.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (सीईएस), चोग्लामसर, लेह	2	1- संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर 1- उत्तराखण्ड		
	कुल	4			
उत्त	र प्रदेश				
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	2	1- अरुणाचल प्रदेश1- हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौलएवं स्पीति क्षेत्र		
	कल	2			

सीटों का कुल योग : 69

शीला दिकी)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि स्चना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

- 1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आईएसएम एंड एच/स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक।
- 2. दी गई सूची के अनुसार सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
- 3. दी गई सूची के अनुसार सभी कालेजों के प्राचार्य।
- 4. निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग।
- 5. एनआईसी के अधिकारी (प्रभारी), आयुष मंत्रालय को इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर प्रदर्शन हेतु।

शीला तिकी २६/५/२५ (शीला तिकी)

अवर सचिव, भारत सरकार